

संख्या 01735/2020-2021

प्रारूप-9
नियम ४(२) देखें

दिनांक 21/01/2021



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/GAZ/14977/2020-2021

एतदद्वया प्रमाणित किया जाता है कि विष्णु विकास संस्था, याम धुम्पुर, अनोनी पो-सौना, विलानगाजीपुर, गाजीपुर, 26/02/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्मुक्त रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By

(YOGESH CHANDRA TRIPATHI)

36C7B82300AB23E1E15B4ADB4A0050C19FC523A42

Date: 21/01/2021 11:39:00 PM, Location: Varanasi,

सोसाइटी के राजिस्टर,

उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-21/01/2021

संशोधित समृद्धि—पत्र

1. संस्था का नाम : विष्णु विकास संस्था
2. संस्था का पता : ग्रा०—धृष्टपुर (अनौनी) पो०—सौना, जिला—गाजीपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य :—

संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

1. बालक बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालय की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना।
2. बालक / बालिकाओं के लिये काम्प्यूटर प्रैक्टिक बनाने का प्रयास करना।
3. जानकारी प्रदान करना एवं उन्हें दूर्योगों से बचाव करना।
4. नवीन विद्या प्रणाली के अनुसार सभी विद्यार्थी एवं भौपालों का ज्ञान कराना।
5. समाज कल्याण विभाग तथा कन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड विस्तृत, कपाट, नाबहू, जिला ग्राम्य विभाग, नेहड़ा, झुझा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रमों का भागीदारी करना।
6. परिवार कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों विविध सम्मलिनों तथा गोष्ठियों का आयोजन कर जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करना।
7. विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केंद्रों की नियुक्त स्थापना करना।
8. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियुक्त आयोजन करना एवं संगीत विद्यालय की स्थापना करना।
9. समाज में खेल भावना एवं सांस्कृतिक विद्यालय के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु खेल ग्रामीणीयों को आयोजन करना।
10. कृषि प्रैदावर को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिविर, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण कार्यशाला एवं आयोजन तथा उत्तम कोटि के बीजों का प्रदर्शन करना।
11. भारत सरकार द्वारा संचालित वैश्वानिक विद्या के अधार पर कृषि हेतु ज्ञान कराना व कृषि मंत्रालय द्वारा उसका संचालन संस्था के माध्यम से करना।
12. कुष्ट रोगों का निवारण एवं रोगियों हेतु आश्रम की स्थापना कर उन्हें आर्थ निर्मित बनाना।
13. आंगन बाड़ी, बाल बाड़ी, प्रौढ़ विद्यालय, अनौपचारिक विकास के अन्तर्गत कार्यक्रमों का संचालन करना।
15. क्षेत्र के सम्मय विकास के परिप्रेक्ष्य में खादी ग्रामोदय आयोग बोर्ड द्वारा स्थीकृत हस्त निर्मित प्रवृत्तियों के अनुसार मुख्यतः खादी ग्रामोदय की वित्तीयियों को अपेनाना।

विष्णु विकास संस्था
प्रारंभिक विद्यालय
नेहड़ा, झुझा, मानव संसाधन विकास
मंत्रालय द्वारा संचालित
प्रधान नियमित विद्यालय

विष्णु विकास संस्था
नेहड़ा, झुझा, मानव संसाधन विकास
मंत्रालय द्वारा संचालित
प्रधान नियमित विद्यालय

16. पिछले वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अनुसार उनकी सहायता करना एवं उन्हें निःशुल्क मार्गदर्शन देना।
17. चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क सुविधा प्रदान कर लोगों को विभिन्न भयंकर विमारियों जैसे—कैंसर, तपेदिक मलेरिया, मोतिया बिन्द, एड्स, पल्स पोलियो, टीकाकरण तथा हेपेटाइटिस जैसे भयंकर विमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देना।
18. महिलाओं के विकास के लिए सिलाई, कदाई, कटाई, पेटिंग, व्यूटी पार्लर, काष्ट कलौं आदि की शिक्षण एवं हस्त शिल्प के शिक्षण/प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
19. मद्य निषेध, नशा उन्मूलन के प्रति जागरूकता लाना एवं उनके पुनर्वास एवं रोक थाम के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
20. बाल श्रम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके बालकों को शिक्षित करना तथा उन्हें स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करना।
21. रवजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम करना।
22. गंगा एक्षण प्लान के अन्तर्गत गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सरकारी अर्द्धसरकारी कार्यालयों द्वारा सहायता प्राप्त कर कार्य को सम्पादन करने का प्रयास करना।
23. ग्रामीण विकास के लिये गाँव की सड़कें, नाली, ग्रामीण, शौचालय, पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था करने का प्रयास करना।
24. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
25. कन्याओं की भ्रूणहत्या रोकने की दिशा में जागरूकता अभियान चलाना।
26. यह संस्था निःशुल्क/सामान्य शुल्क पर विभिन्न आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों द्वारा औषधियों का उत्पादन करके प्रचार-प्रसार व उपयोग के प्रति जागृति पैदा करने का कार्य करेगी।
27. हस्तशिल्प, (हैण्डी क्रापट) के विभाग से समस्त कार्यक्रम में सहभागिता करना।
28. जनसंख्या की बढ़ती हुई गति को कम एवं नियमित करने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
29. सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, नशा तथा दहेज प्रथा धुम्रपान, जुआ तथा नशीली दवाओं का प्रयोग आदि के साथ-साथ समाज में फेले अन्धविश्वास, छुआ-छूत आदि रीति रिवाजों को दूर करना।
30. पशु पालन/मत्स्य पालन के बारे में लोगों को अवगत करना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
31. स्वंय सहायता समूह का गठन करना तथा असहाय निर्धन महिला श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्य करना एवं शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं में जागरूकता एवं उनके हक अधिकार को दिलाना।
32. हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ललित कलां, हथकरघा, मेटल क्रापट आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को संचालित करने में मदद करना, उत्पादन, निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रदेशनी का आयोजन कार्यक्रम तैयार कर स्थापना व संचालन करना।

सत्य प्रतिलिपि

कृते हैं
कार्य संस्करण के द्वारा विट्टु
गारांगती मण्डल जनराल सी

बीबी चौकेराज - Anna AMP
मिलन द्वारा दिया गया है।

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : विष्णु विकास संस्था
2. संस्था का पता : ग्रा०- धुन्धपुर (अनौनी) पो०- सौना, जिला-गाजीपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी।

आजीवन सदस्य

: वे व्यक्ति जो संस्था को 1001/-रु० नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

सामान्य सदस्य

: वे व्यक्ति जो संस्था को 101/-रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।

5. सदस्यता की समिति

: निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पाश्चयल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग-पत्र प्राप्त होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपरिधि रहने पर।
7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

6. संस्था के अंग

: (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा

(क) गठन

: संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ख) बैठकें

: साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्कतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि

: साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

सूचना

(घ) गणपूर्ति

: साधारण सभा की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपरिधि में पूर्ण मानी जायेगी।

गणपूर्ति

बैठक

पा० १ केरनाली जम्मा

(द.) संस्था का वार्षिक अधिवेशनः-

संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार संस्था के कार्यालय पर हुआ करेगी।

(च) साधारण सभा के कर्तव्यः-

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचार के लिये भेजे गये प्रस्तावों, मामलों आदि पर विचार करना।
- 2.. संस्था की स्थापना नीति, उसके कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्धारण करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति:-

(क) गठन

:- प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जायेगा जिसमें संरक्षक, अध्यक्ष, प्रबन्धक / मंत्री, कोषाध्यक्ष, आडीटर के अलावा 4 प्रबन्धसमिति के सदस्य होंगे।

(ख) बैठके

:- प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि

:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति

:- प्रबन्ध समिति की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपरिथिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(ङ.) रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन शेष अवधि के लिये कर लिया जायेगा।

(च) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकारः-

1. संस्था के बजट पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।
2. संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिये उपसमितियों का गठन करना।
3. संस्था के लिये दान, अनुदान, चन्द्रे आदि प्राप्त करना।
4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्काषित करना।

सत्य प्रतिशिष्टा
राज्य सोसाइटी एवं विद्युत
संस्थासी बन्ड बारक्सेली

बीरु-बीरु

ANP किरन लाल लाल

5. संस्था के लिये चल अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना।

6. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः—

संरक्षक :-

संस्था के हित में समय समय पर कार्य करना तथा प्रबन्धक/मंत्री द्वारा सौंपे गये कार्यों को पूरा करना तथा अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2.. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत दाना होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
3. बैठक करने के लिये प्रबन्धक/मंत्री के राय से दिनांकों का अनुमोदन करेगा।
4. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

प्रबन्धक / मंत्री :-



1. संस्था के लिये दान अनुदान चन्दे आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदें देना।
2. आवश्यकतानुसार सामान्य व विशेष बैठक बुलाना तथा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना।
3. बैठक करने के लिये सभी सदस्यों को सूचनाये देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना।
4. संस्था से सम्बन्धित कागजात एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशियों आदि का भुगतान स्वीकृत करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
7. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
8. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।
9. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

1. संस्था के आय-व्यय का हिसाब किताब तैयार करना।
2. प्रबन्धक/मंत्री के आदेशानुसार समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट अफिस में जमा करना।

अनुमति

कोषाध्यक्षः—

बोध्योदय

A N P किंवद्विलारम्भ

आडीटर :-

संस्था के आय-व्यय की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार कर उसे आडीट करना तथा प्रबन्धक/मंत्री द्वारा सौपे गये कार्यों को पूरा करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11. संस्था का कोषः-

किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षणः-

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आडीटर द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडीट) कराई जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्वः-

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/मंत्री पर होगा।

14. संस्था के अभिलेखः-

- संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा।
1. कार्यवाही रजिस्टर
 2. सदस्यता रजिस्टर
 3. स्टाक रजिस्टर
 4. कैश बुक आदि

15. संस्था के विघटनः-

संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक

A.M.P

Bhawan
हस्ताक्षर.....

किरन लता चोहां
बीबू चोहां

8.7.13

प्रबन्धसमिति की बैठक

आज दिनांक 05/05/2013 को पूर्व सूचना के अनुसार विष्णु विकास संस्था, ग्रा०-धुन्धपुर (अनौनी) पो०-सौना, जिला-गाजीपुर के कार्यालय पर दिन कें 11 बजे श्रीमती बीनू चौबे की अध्यक्षता में प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक बुलायी गयी बैठक में निम्न प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया बैठक का कोरम पूर्ण रहा।

प्रस्ताव संख्या 1

पिछली कार्यवाही के पुष्टि पर विचार :-

सभी लोगों के समक्ष प्रबन्धक / मंत्री महोदय ने पिछली कार्यवाही को पढ़ कर सुनायी।

सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव को पास किया।

प्रस्ताव संख्या 2

संस्था के स्मृति-पत्र में और उद्देश्य बढ़ाने पर विचार:-

प्रबन्धक / मंत्री महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि क्षेत्र के लोगों के विकास एवं उत्थान के लिये स्मृति-पत्र में और उद्देश्यों को बढ़ाया जा रहा है जो स्मृति-पत्र की धारा 4 के उपधारा 31 के आगे कालम नं. 32 तक उद्देश्यों को बढ़ाया जा रहा है जो निम्न है—

32. हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ललित कलां, हथकरघा, मेटल क्राफ्ट आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को संचालित करने में मदद करना, उत्पादन, निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रदर्शनी का आयोजन कार्यक्रम तैयार कर स्थापना व संचालन करना।

और कोई अन्य प्रस्ताव न होने के कारण संस्था की बैठक सभी हर्ष ध्वनि के साथ समाप्त कर दी गयी।

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक.....

२५५२२

ANP

Simran
हस्ताक्षर.....

द्वितीय

I- 160564

सेवा में,

श्रीमान् सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटी एवं चिट्स
वाराणसी

विषय:- विष्णु विकास संस्था, ग्रा०- धुन्धपुर (अनौनी) पो०-सौना, जिला-गाजीपुर
का संशोधित स्मृति पत्र एवं नियमावली पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में
महोदय,

निवेदन है कि संस्था विष्णु विकास संस्था, ग्रा०- धुन्धपुर (अनौनी) पो०-सौना,
जिला-गाजीपुर का संशोधित स्मृति पत्र एवं नियमावली पंजीकृत कराने के लिये समस्त
प्रपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।


अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि संस्था का संशोधित स्मृति पत्र एवं नियमावली
पंजीकृत करने की कृपा करें।

दिनांक:.....

संलग्नक:—

✓ समस्त कागजात

भवदीय,



प्रबंधक/मंत्री

विष्णु विकास संस्था,
ग्रा०- धुन्धपुर (अनौनी) पो०-सौना,
जिला-गाजीपुर

लालूपाल जी का उद्देश्य
फर्म सोसाइटी एवं चिट्स
वाराणसी-गाजीपुर

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता, पति का नाम पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संरक्षा के नियमों के अनुसार कार्य भार सौपा गया है।

क्र.सं.	नाम / पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती फूलमती पत्नी श्री रामा शंकर पाण्डेय	ग्रा० व पो०-करमपुर, जिला-गाजीपुर	संरक्षक	गृहणी
2.	श्रीमती बीनू चौबे पत्नी श्री श्रीकृष्ण चौबे	ग्रा० व पो०-लमही, जिला-वाराणसी	अध्यक्ष	गृहणी
3.	श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी श्री विद्याधर पाण्डेय	ग्रा० धुन्धपुर (अनौनी) पो०- सोना, जिला-गाजीपुर	प्रबन्धक / मंत्री	समाजसेवा
4.	अंजली पाण्डेय पत्नी श्री चन्दन द्वे	ग्रा० व पो०-नायकडीह जिला-गाजीपुर	कोषाध्यक्ष	गृहणी
5.	श्रीमती धीराजी देवी पत्नी श्री तुलसी राजभर	ग्रा० मठसौना पो०-सौना, जिला-गाजीपुर	आडीटर	समाजसेवा
6.	श्रीमती किरन लिपुरी पत्नी श्री माधव तिवारी	ग्रा० बगतौआ पो० रैमला, जिला-वाराणसी	सदस्य	गृहणी
7.	श्रीमती रेखा तिवारी पत्नी श्री सोनी तिवारी	ग्रा० बगतौआ पो० रैमला, जिला-वाराणसी	सदस्य	गृहणी
8.	श्रीमती रुबी उपाध्याय पत्नी श्री अमित उपाध्याय	ग्रा० बगतौआ पो० रैमला, जिला-वाराणसी	सदस्य	गृहणी
9.	श्री अमित उपाध्याय पुत्र श्री शिव प्रसाद उपाध्याय	ग्रा० बगतौआ पो० रैमला, जिला-वाराणसी	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता उपर्युक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना चाहते हैं।
दिनांक: -----

A n P

हस्ताक्षर....

१५२ नं तिवारी
बीनू चौबे

सत्य प्रतिलिपि

कृते : अधिकारी
सोसाइटी एवं चिठ्ठी
वाराणसी बाबल

प्रमोगकारी

✓



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16AA 813937

विभु विकास उद्धा
प्रभान्त संस्था
गोपन्यासिक
पुनर्वाप्ति 2010-11 का दस्तावेज़



सरकारी

विभिन्न विभाग
मान्यता दिलाई विवराण
मान्य गोपन्यासिक हस्ता चिह्न

०५०७१०



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16AA 813938

विद्यु कागज संग्रह

160564

पता परिवर्तन कर्तव्य
फिल्म 10-06-10

काल्पनिक

दिनांक 10-06-10
साधारण विद्युत विभाग
मुख्यमंत्री कार्यालय, वाराणसी




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

महानगर निवासन (कैंप) देवगढ़ कलाली गांव
प्रभाग संख्या १६०५८५ के गोदाम।
ज्ञान प्रबोधन संस्था द्वारा।



कृते दाहानक जिल्हान्दा
कर्म सासाइटा एवं नवकुम्हा
ज्ञान प्रबोधन



उत्तर प्रदेश
श्री मान सहायक निवन्धक
फर्स्ट सोसाइटी एवं विट्रस
वाराणसी

04AE 504278

शपथ-पत्र

- मैं सुमन पाण्डेय पत्नी श्री विद्यासागर पाण्डेय निवासी ग्राम धुन्धपुर (अनौनी) पो० सोना, जिला-गाजीपुर शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ कि-
- (1) यह कि शपथकर्ता विष्णु विकास संस्था ग्राम धुन्धपुर (अनौनी) पो०-सौना, जिला-गाजीपुर का निर्विवादित प्रबन्धक / मंत्री हूँ।
 - (2) यह कि संस्था कि प्रबन्धसमिति किसी भी कार्यालय / न्यायालय में विवादित नहीं है।
 - (3) यह कि संस्था को किसी भी सरकारी, गैर सरकारी सांसद निधि विधायक निधि अथवा एजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त है जिसका आय-व्यय में सम्यक रूप से दर्शाया गया है। कोई तथ्य गोपन नहीं है।
 - (4) यह कि संस्था को अभी तक किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।
 - (5) यह कि संस्था द्वारा (शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक) गतिविधियां संचालित की जा रही है। सम्पादित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण आय व्यय लेखे के साथ संलग्न है।
 - (6) यह कि संस्था द्वारा संचालित परिसम्पत्तियों का विवरण पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि संस्था द्वारा अपने लेखों का परीक्षण संस्था द्वारा संस्थापित चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाता है।
 - (7) यह कि संस्था के पदाधिकारी / सदस्यों द्वारा संस्था के परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष लाभ निजि / व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जा रहा है संस्था की परिसम्पत्ति संस्था के किसी पदाधिकारी / सदस्य के निजि प्रयोग में भी नहीं है।
 - (8) यह कि कार्यालय द्वारा किया गया नवीनी यदि हमारे द्वारा कोई तथ्य गोपन अथवा आपत्ति आई है तो मैं नवीनीकरण प्रमाण पत्र वापस कर दुंगा अथवा निरस्त किये जाने पर मुझे शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 - (9) यह कि नवीनीकरण किया जा रहा है उस पर यदि किसी को जो संस्था के पूर्व में पदाधिकारी रहे हों, द्वारा कोई आपत्ति की कोई आपत्ति नहीं होगी।
 - (10) यह कि प्रस्तुत किए गये प्रपत्रों पर किये गये हस्ताक्षर सत्य-एवं सही है।

सत्यापन

कि शपथकर्ता शपथ पूर्वक सत्यापित करती हूँ कि प्रस्तुत शपथपत्र में वर्णित पैरा 1 लगायत 10 तक मेरी व्यक्तिगत जनकारी सत्य एवं सही है।

शपथकर्ता



१०.५० AM



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
पास बुक
PASS BOOK

Nom. Reg. No.:

Generally Used Abbreviations

a/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round off
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Sh
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/Soc C
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/c
coll = Collection	lon/lm = Loan	tr/trf/xfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Tele
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Tra
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD Bal=total balance (SB+linked M/s a/c)



भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

Savings Bank Account

CIF No : 86031591247

Account No : 31738689569

Customer Name: VISHNU VIKASH SANSTHA

SAIDPUR(DIST.GHAZIPUR)

DIST:GHAZIPUR

S/D/W/H/o:

Address:VILL. DHUDHPUR

PO. SAUNA

SAIDPUR

Phone:

Email:

D.O.B. (If Minor):

MOP.:ALL A/C HOLD OR SURV

Phone:222035

Email:sbi.1096@sbicom

Branch Code:1096

Date of Issue:04/04/2012

04/04/2012 3404218 OF 1096

FIRST



शाखा प्रबंधक

Branch Manager

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA




26/02/2010

Permanent Account Number

AABTV3877B

Signature



In case this card is lost/stolen, kindly inform/return to:

Income Tax PAN Services Unit, UTITSL
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,

Navi Mumbai - 400 614.

जल संचय के लिए जल संग्रह योजना लॉ/लॉटरीएः
अपराजा ट्री रोड पार्क, पुण्यासी

लालानगर, ३, सेक्टर ११, नवी मुंबई, महाराष्ट्र.

नमी मुंबई-४०० ६१४.